

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

एस. जे. वजीफदार, सी. जे. और अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, जे.

मेसर्स एबिटेक्स इंटरनेशनल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2016 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 22428

23 जनवरी, 2017

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 1226 और 227-हरियाणा मूल्य वर्धित कर, 2003-धारा 20-अनंतिम वापसी-संशोधित वापसी-प्रारंभिक वापसी में वापसी का दावा करने में गणना त्रुटि, संशोधित वापसी में त्रुटि-सुधार की मांग करने वाला आवेदन-वैट-ए 4 में किए गए दावे तक सीमित अनंतिम वापसी-प्राधिकरण ने वापसी की प्रथम दृष्टया शुद्धता और अनंतिम वापसी के लिए आवेदन तय करने में इसके संशोधन का आकलन करने का निर्देश दिया।

यह मानते हुए भी कि अस्थायी धनवापसी का अनुदान अनिवार्य नहीं है, एक निर्धारिती हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की खंड 20 (3) के तहत प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने और उचित और निष्पक्ष आधार पर अस्थायी धनवापसी के लिए अपने आवेदन का हकदार है। खंड 20 (2) रिटर्न को सही, संशोधित या संशोधित करने के बाद किसी निर्धारिती के आवेदन पर विचार करने से नहीं रोकती है। इसके लिए अधिकारियों से केवल मूल विवरणी के आधार पर खंड 20 (2) के तहत आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही यह गलत पाया गया हो और प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निर्धारिती ने इसे सही तरीके से सही किया है। अस्थायी धनवापसी के लिए आवेदन तय करने के उद्देश्य से भी, यह प्राधिकरण के लिए है कि वह प्रथम दृष्टया वापसी की शुद्धता और उसके किसी भी संशोधन का आकलन करे।

(पैरा 7)

अवनीश झिंगन, अधिवक्ता,

याचिकाकर्ता के लिए

प्रतिवादी के लिए ममता सिंगला तलवार, डी. ए. जी., हरियाणा।

(1) याचिकाकर्ता ने आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण, पानीपत के दिनांक 16.08.2016 के आदेश को चुनौती दी है, 83 लाख रुपये के दावे के खिलाफ केवल Rs.39 लाख की अस्थायी वापसी की अनुमति दी गई है। 83 लाख।

मेसर्स एबिटेक्स इंटरनेशनल बनाम हरियाणा राज्य और

अन्य (एस. जे. वजीफदार, सी. जे., जे.)

(2) मामला 01.04.2015 से 30.06.2015 की अवधि से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने शुरू में केवल 4 लाख रुपये के रिफंड का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल किया था। यह दावा करते हुए कि यह उसकी ओर से गणना त्रुटियों के कारण था, याचिकाकर्ता ने 03.11.2015 पर एक संशोधित विवरणी दाखिल की। याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसने उत्पादन देयता को 4 प्रतिशत के बजाय 12.5% पर कर योग्य मानते हुए संशोधित विवरणी में भी त्रुटि की है। इसलिए याचिकाकर्ता ने 06.11.2015 पर इस गलती की ओर इशारा करते हुए एक आवेदन दायर किया और इसके संबंध में सुधार की मांग की।

(3) आवेदन को शुरू में आबकारी और कराधान अधिकारी-सह-निर्धारण प्राधिकरण-प्रत्यर्थी संख्या 2 को भेजा गया था, जिन्होंने बदले में इसे उप आबकारी और कराधान आयुक्त, पानीपत को भेज दिया। इसे आगे आबकारी और कराधान आयुक्त-प्रतिवादी संख्या 3 को भेज दिया गया। उप आबकारी और कराधान आयुक्त, पानीपत ने आबकारी और कराधान आयुक्त को संबोधित एक संदेश द्वारा कहा कि उनके द्वारा इस मुद्दे को हल करना संभव नहीं था और इसलिए, आबकारी और कराधान आयुक्त से अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। (4) नियमित मूल्यांकन आदेश पारित नहीं किए गए हैं। 04.04.2016 पर याचिकाकर्ता ने हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की खंड 20 (3) के तहत अस्थायी धनवापसी के लिए आवेदन किया जो इस प्रकार है:-

“ खंड 20-धन वापसी

..... (3) एक वैट विक्रेता निर्धारित तरीके से निर्धारित दस्तावेजों के साथ निर्धारित विवरणों वाला आवेदन कर कर निर्धारण प्राधिकरण से धनवापसी की मांग कर सकता है, जो आवेदन की जांच के बाद, विक्रेता को अस्थायी रूप से धनवापसी की अनुमति देगा।”

(5) इस आवेदन का निपटान आबकारी और कराधान अधिकारी-प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 16.08.2016 के विवादित आदेश द्वारा किया गया था। आदेश याचिकाकर्ता

की उत्पादन देयता को हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिआदेश के तहत Rs.18,37,270/- और रु 5,02,193/- केंद्रीय बिक्री कर अधिआदेश, 1956 के तहत कुल मिलाकर Rs.23,39,463/- के रूप में स्वीकार करता है। आदेश में यह भी पाया गया है कि याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध उत्पादन कर रु. 1,08,96,010/- है। याचिकाकर्ता को देय धनवापसी का अस्थायी रूप से विवादित आदेश में ही रु। 85,56,547-1(6) खंड 20 के तहत विचार किए गए समायोजन सहित किसी भी अन्य परिस्थिति के अनुपस्थिति में, प्रतिवादी संख्या 2 रुपये के अस्थायी धनवापसी के लिए विचार किए जाने का हकदार होता। 85,56,547-1

300

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2017(1)

हालाँकि, अनंतिम धनवापसी की राशि दावे के आधार तक सीमित थी, कथित रूप से आदेश में कहा गया है:-

“(-) राजस्व के हित में और वैट ए-4 और रिटर्न 4656547-00 अतिरिक्त 3900000-00 रुपये में किए गए दावे से अधिक नहीं। 39,000,00 को अस्थायी रूप से वापस किया जाना है।”

(7) यह मानते हुए भी कि अनंतिम धनवापसी का अनुदान अनिवार्य नहीं है, एक निर्धारिती हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की खंड 20 (3) के तहत अनंतिम धनवापसी के लिए अपने आवेदन को प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने और उचित और निष्पक्ष आधार पर तय करने का हकदार है। खंड 20 (2) रिटर्न को सही, संशोधित या संशोधित करने के बाद किसी निर्धारिती के आवेदन पर विचार करने से नहीं रोकती है। इसके लिए अधिकारियों से केवल मूल विवरणी के आधार पर खंड 20 (2) के तहत आवेदन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही यह गलत पाया गया हो और प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि निर्धारिती ने इसे सही तरीके से सही किया है। अस्थायी धनवापसी के लिए आवेदन तय करने के उद्देश्य से भी, यह प्राधिकरण के लिए है कि वह प्रथम दृष्टया वापसी की शुद्धता और उसके किसी भी संशोधन का आकलन करे। (8) प्रतिवादी संख्या 2 में यह नहीं कहता

है कि अस्थायी धनवापसी के लिए आवेदन वास्तविक देय धनवापसी के आधार पर तय नहीं किया जा सकता है और इसका मूल्यांकन अनिवार्य रूप से केवल मूल रूप से दायर धनवापसी के आधार पर किया जाना चाहिए या एक बार सुधार भी किया जाना चाहिए,

हालांकि यह गलत पाया जा सकता है। विवादित आदेश में यह नहीं कहा गया है कि मांगा गया सुधार तथ्यों पर या किसी कानूनी बाधा के कारण टिकाऊ नहीं है। ठीक किए जाने की मांग के अनुसार धनवापसी की गणना, हालांकि अनंतिम है, न केवल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकार की जाती है, बल्कि वास्तव में याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे से अधिक स्वीकार की जाती है।

(9) इन परिस्थितियों में, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की खंड 20 की उप खंड (3) के तहत कथित रूप से "राजस्व के हित में" धनवापसी की राशि को सीमित करना मनमाना और उचित नहीं होगा। "राजस्व के हित में" इस आधार के लिए कोई कारण नहीं हैं।

(10) इन परिस्थितियों में, याचिका का निपटारा निम्नलिखित आदेश द्वारा किया जाता है:-

प्रतिवादी संख्या 2 याचिकाकर्ता के आवेदन दिनांक 04.04.2016 के अनुसार, धनवापसी के लिए आवेदन दिनांक 06.11.2015 पर विचार करने के बाद, जो कि Rs.83,04,021/- के योग में है, एक अस्थायी धनवापसी के लिए एक नया आदेश पारित करेगा।

मेसर्स एबिटेक्स इंटरनेशनल बनाम हरियाणा राज्य और

301

अन्य (एस. जे. वजीफदार, सी. जे., जे.)

यद्यपि आक्षेपित आदेश में धनवापसी की गणना Rs.85,56,547/- पर की गई है, लेकिन हमने एक अनिवार्य आदेश पारित करने से परहेज किया है जिसमें प्रतिवादी को शेष राशि को भी अस्थायी स्तर पर वापस करने का निर्देश दिया गया है, ऐसी कोई अन्य परिस्थिति होने की स्थिति में जो याचिकाकर्ता को अस्थायी धनवापसी के लिए पूरी राशि का भुगतान करने से रोकती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि वापसी और संशोधित वापसी में कथित त्रुटि है, उसे अस्वीकार करने का आधार नहीं होगा।

(ii) दूसरे प्रतिवादी से 28.02.2017 द्वारा एक नया आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है

कमलेश
अनुवादकर्ता